UPJL010029972025

Presented on : 28-05-2025
Registered on : 28-05-2025
Decided on : 11-03-2026
Duration : 0 years, 9 months, 14 days

IN THE COURT OF
Spl. Judge SC/ST Act
AT ,Jalaun
(Presided Over by SRI SURESH KUMAR GUPTA)

Criminal Revision/98/2025

न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), जालौन स्थान उरई।

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश कुमार गुप्ता (एच.जे.एस),

क्रिमिनल रिवीजन सं0—98/2025

1— शशिभूषण मिश्रा उम्र करीब 52वर्ष पुत्र संतोष कुमार मिश्रा प्रोपराइटर श्री बजरंग मेडिकल स्टोर जिला अस्पताल उरई के बगल में, थाना कोतवाली उरई जिला जालौन।

.....रिवीजनकर्ता

बनाम

1— उ०प्र० सरकार।

2— उदयकरन उम्र करीब 60 वर्ष पुत्र श्री ब लराम निवासी ग्राम मडोरा थाना कोतवाली उरई जिला जालौन, प्रोपराइटर आर0आर0ड्रग सेन्टर अकबर मार्केट चन्द्रनगर उरई, थाना कोतवाली उरई, जिला जालौन।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता शशिभूषण मिश्रा द्वारा विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जालौन स्थान उरई द्वारा परिवाद संख्या 4168/2022 उदय करन बनाम शशिभूषण मिश्रा अंतर्गत धारा 504, 506 भा0 दं0 स0ं थाना कोतवाली उरई जिला जालौन के प्रकरण में पारित तलबी आदेश दिनांकित 06.05.2025 से क्षुब्ध होकर यह रिवीजन प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिवीजन में मुख्यतः यह अभिकथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.05.2025 विधि विरूद्ध है, क्योकि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित करते समय कानूनी मस्तिष्क का प्रयोग न करके कानूनी भूल की है। परिवादी के अनुसार परिवादी ने अपनी उक्त फर्म (दुकान) से वर्ष 2018 में निगरानीकर्ता शशिभूषण मिश्रा प्रोपराइटर श्री बजरंग मेडीकल स्टोर जिला अस्पताल उरई के बगल में थाना कोतवाली उरई जिला जालौन के आर्डर पर उसे दवाईयाँ सप्लाई की थी, जिसका भुगतान मु0—86,635/— रूपया बकाया रह गया था, परिवादी के बार—बार रूपये मॉगने पर निगरानीकर्ता ने

Digitally signed by Suresh Kumar Gupta
Date: 2026.03.12 11:25:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

रूपया अदा नही किया, जबकि परिवादी ने अपने धारा–200 सी०आर०पी०सी० के ब्यान में मात्र 84,000/– रूपये का लेन–देन बताया है, जिसमें गाली गलौच कर जान से मारने वाली बात नही बतायी, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिवादी ने जानबूझकर निगरानीकर्ता से धन ऐंठने के लिये उक्त मुकदमा फर्जी तरीके से दाखिल किया है। परिवादी ने अपने परिवाद–पत्र में यह कथन किया है कि निगरानीकर्ता दो अज्ञात साथियों के साथ दिनांक 12–08–2021 को शाम 7 बजे परिवादी की फर्म (दुकान) पर आया और गाली गलौच करते हुये कहने लगे कि तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, अगर शिकायत वापस न ली तो तुम्हे जान से मरवा दूँगा या फिर भी तुम्हें किसी संगीन अपराध में फॅसा दूँगा, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी का 200 सी०आर०पी०सी० का ब्यान अंकित किया गया है जिसमें घटना का दिन व महीना व समय कही भी अंकित नही है इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि घटना फर्जी एवं बनावटी है। परिवाद कथानक, परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी० व 202 सी०आर०पी०सी० के तहत परीक्षित साक्षी पी०डब्लू0–1 व पी०डब्लू0–2 के ब्यानो में काफी विरोधभाष है, इससे स्पष्ट प्रतीत है कि घटना फर्जी एवं बनावटी है, केवल निगरानीकर्ता से धन ऐठने की नियत से उक्त फर्जी मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया गया है। निगरानीकर्ता व परिवादी आपस में दवाओ का व्यापार करते है, कोरोना के समय परिवादी निगरानीकर्ता की दुकान पर दिनांक 12–03–2021 समय करीब दोपहर 2 बजे आया और कोरोना की दवाई के लिये 2 लाख रूपये एडवांस ले गया और कहा कि शेष रकम 41,932/– रूपये डिलेवरी के उपरान्त दे देंगे, निगरानीकर्ता द्वारा जब परिवादी से सम्पर्क किया व शेष रकम मॉगी तो वह टाल मटोल करने लगा और उसकी नियत में खोट आ गया और न ही उसने दवाई दी और न ही उसने रूपये वापस किये बल्कि फर्जी प्रपत्र तैयार कर निगरानीकर्ता की रकम को हडप करने के उद्देश्य से उक्त झूठा मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया। परिवादी के ब्यानो में न तो घटना की तारीख व समय बताया गया है कि कथित घटना कब घटित हुई है, इस तथ्य को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा नजरअंदाज करके कानूनी भूल की है, क्योकि किसी अपराध के लिये घटना का समय व दिनांक आवश्यक होता है क्योकि उसी से समय (परिसीमा) की गणना होती है, इस तथ्य को नजरअंदाज कर कानूनी भूल की है। कथित धाराओ की साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होने के बाबजूद तलब करके कानूनी भूल की है। विधि, माननीय, उच्च व उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्त के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तलब करने के लिये प्रथम दृष्टया साक्ष्य होना आवश्यक है, जबकि उक्त परिवाद में कोई साक्ष्य नही है। निगरानीकर्ता की यह प्रथम निगरानी है। उपरोक्त आधारों पर रिवीजन स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित तलबी आदेश दिनांकित 06.05.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये, किन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई लिखित आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

मैंने विपक्षीगण की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया, निगरानीकर्ता की ओर से कोई

उपस्थित नहीं आया। निगरानीकर्ता को आदेशित किया गया था कि वह निर्णय के दिनांक तक कभी भी बहस सुना सकता है, किन्तु निगरानीकर्ता की ओर से कोई बहस नहीं की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 2/परिवादी उदय करन की ओर से रिवीजनकर्ता शशिभूषण मिश्रा के विरूद्ध परिवाद विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उसकी थोक दवा बिक्री की दुकान आर०आर० ड्रग सेन्टर के नाम से अकबर मार्केट, चन्द्रनगर उरई में स्थित है, जिसका वह स्वयं प्रोपराइटर है। उसने अपनी उक्त फर्म/दुकान से वर्ष 2018 में प्रतिवादी शशिभूषण मिश्रा, प्रोपराइटर बजरंग मेडीकल स्टोर जिला अस्पताल उरई के बगल में उरई थाना कोतवाली उरई जिला जालौन के आर्डर पर उसे दवाईयां सप्लाई की थी, जिसका भुगतान मुबलिग 86,635/–रूपये बकाया रह गया था। उसकी वसूली करने व बार बार मांगने पर उक्त प्रतिवादी ने रूपया अदा नहीं किया बहाने बाजी करके टाल मटोल करता रहा। काफी लम्बे समय तक विपक्षी द्वारा बकाया रूपया अदा न करने पर उसने औषधि विक्रेता परिषद उरई को भुगतान करवाये जाने हेतु विगत दिनांक 25.03.2020 को शिकायती पत्र देकर अनुरोध किया था, फिर भी विपक्षी ने कोई रूपया अदा नहीं किया। जून 2021 में जब उसकी बकाया राशि ब्याज सहित 1,45,571/– रूपया हो गयी तो वह व्यक्तिगत रूप से विपक्षी के उक्त के मेडीकल स्टोर पर गया और अपनी बकाया धनराशि की मांग की तब विपक्षी शशि भूषण ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हए कहा कि उसे कोई रूपया नहीं देगा, नेतागिरी व बकबक की तो उसे ठिकाने लगा देगा। मजबूर होकर उसने विगत दिनांक 29.06. 2021 को पुलिस अधीक्षक जालौन को उक्त घटना के सम्बन्ध में व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उरई थाना पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही की जा रही थी कि जांच के दौरान उक्त विपक्षी सं02 अपने अज्ञात साथियों के साथ दिनांक 12.08.2021 को शाम 7 बजे उसकी फर्म/दुकान पर आया और गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि तुमने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, अगर शिकायत वापस न ली तो उसे जान से मरवा देगा या फिर उसे किसी संगीन अपराध में फंसा देगा मौके पर उसका कर्मचारी चित्तर व रामकुमार प्रजापति मौजूद थे। विपक्षी की रूपया अदा करने की नियत साफ नहीं है उसने छल कपट पूर्वक बेईमानी से आर्डर करके उससे औषधि माल ले लिया है, रूपया अदा करने में बेईमानी कर रहा है। परिवादी ने अपने उक्त कथानक को साबित करने के उददेश्य से विचारण न्यायालय में परिवादी ने धारा 200 द०प्र०सं० के अंतर्गत स्वयं को तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत साक्षी पी०डब्लू०–01 रामकुमार प्रजापति एवं पी०डब्लू 02 चित्तर सिंह को परीक्षित कराया गया। विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के परिवाद पत्र, परिवादी की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत विपक्षी द्वारा परिवादी के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दिये जाने का प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए निगरानीकर्ता/अभियुक्त शशिभूषण मिश्रा को धारा 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत जरिये समन आहूत किया गया है। निगरानीकर्ता का मुख्यतः कथन है कि निगरानीकर्ता व परिवादी आपस में दवाओ का व्यापार करते है, कोरोना के समय परिवादी निगरानीकर्ता की दुकान पर दिनांक 12–03–2021 समय करीब

दोपहर 2 बजे आया और कोरोना की दवाई के लिये 2 लाख रूपये एडवांस ले गया और कहा कि शेष रकम 41,932/– रूपये डिलेवरी के उपरान्त दे देंगे, निगरानीकर्ता द्वारा जब परिवादी से सम्पर्क किया व शेष रकम मॉगी तो वह टाल मटोल करने लगा और उसकी नियत में खोट आ गया और न ही उसने दवाई दी और न ही उसने रूपये वापस किये बल्कि फर्जी प्रपत्र तैयार कर निगरानीकर्ता की रकम को हडप करने के उद्देश्य से उक्त झूठा मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया। किन्तु रिवीजनकर्ता द्वारा अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में ऐसे किसी भी साक्षी का कोई शपथ पत्र अथवा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे रिवीजनकर्ता का उपरोक्त कथन साबित होता हो। विधि यह है कि धारा 227 दं.प्र.सं. के अधीन आदेशिका जारी करने के लिए अवर न्यायालय को केवल प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है, तथ्यों की सत्यता या संभावना का गुण–दोष पर विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। निर्णयज विधि Chotelal Mali @ Girdhari Mali & Ors. Vs State of U.P. & Ors. 2010 (1) के प्रस्तर 7 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 204 द0प्र0सं0 की आदेशिका जारी करने के लिये साक्ष्य का विश्लेषणात्मक प्रयोग अनुमन्य नहीं है, केवल न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामले को देखना है और प्रथम दृष्टया मामले का तात्पर्य यह है कि प्रथम दृष्टया वह तथ्य साबित हो रहा, जिसे खन्डित न किया जाये तो उससे दोषसिद्वि परिणित होगी। निर्णयज विधि Gambhir Singh R Dekre Vs. Phalgun bhai Chiman Bhai Patel AIR 2013 S.C. 1590 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनः यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवाद पर संज्ञान लेने के स्तर पर अभियोगों की सत्यता में नहीं जाया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए निगरानीकर्ता को तलब किया गया है। निगरानी में जो भी तर्क उठाये गये हैं वह विचारण के तर्क हैं जो विचारण के समय विचारण में उठाया जाना चाहिए। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.05.2025 में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि अथवा अनियमितता कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। निगरानीकर्ता ने जो तर्क निगरानी में उठाये हैं वह विचारण का विषय है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है तथा विधिनुसार अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.05.2025 पारित किया गया है, इसलिए उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। निगरानी में कोई बल प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार रिवीजनकर्ता का रिवीजन नं0–98/2025 निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/रिवीजनकर्ता द्वारा प्रस्तुत क्रिमिनल रिवीजन सं0–98/2025 शशिभूषण मिश्रा बनाम सरकार उत्तर प्रदेश आदि निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब भेजी जावे।

दिनांकः 11.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
जालौन स्थान उरई।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 11.03.2026

(सुरेश कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
जालौन स्थान उरई।